न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00057 RAAJodhpur2020-31RTA223 Nainaram Vs Ghewarram etc

नेनाराम पुत्र श्री भलाराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम धुनाड़िया, तहसील औसिया, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. घेवरराम पुत्र भलाराम
2. शेराराम पुत्र भलाराम फौत के कायम मुकामः -
   2.1. बिरमाराम पुत्र शेराराम
   2.2. सोहनी पुत्री शेराराम
   2.3. समु पुत्री शेराराम
   2.4. लच्छु देवी पत्नी शेराराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- धुनाड़िया, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर औसियां द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2019 राजस्व मूल वाद संख्या 31/2009 घेवरराम बनाम नेनाराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट

श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 2/4

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 20 सितंबर 2023

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 अक्टूबर 2019 राजस्व मूल वाद संख्या 31/2009 अनवान घेवरराम बनाम नेनाराम इत्यादि के खिलाफ

20.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 फरवरी 2020 को पेश की गयी है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक ने एक वाद घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 10 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 10/2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा ग्राम धुनाड़िया तहसील औसियां के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली विचारण न्यायालय में वादी की साक्ष्य में मुकर्रर थी। विचारण न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र चौधरी नियुक्त थे, जिन्होने अपीलांट को पेशी की सूचना नही दी तथा पता करने पर जानकारी हुई कि उक्त अधिवक्ता द्वारा औसियां में वकालत करना बंद कर दिया है तथा वकील दिनेश मदेरणा को अपीलार्थी द्वारा न तो अपना वकील नियुक्त किया गया तथा न ही पैरवी के लिए हिदायत दी गई थी, जिसके बावजूद भी अधिवक्ता द्वारा वाद स्वीकार करने का आदेशिका में अंकन गलत करने से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। पत्रावली पर किसी तरह का कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही शपथ-पत्र प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किये जाने का

20.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लिखा गया है। अपीलांट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा पैरवी बंद कर दिये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब बंद कर दिया गया। अधिवक्ता की गलती के लिए अपीलार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खरीदसुदा भूमि है तथा राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी का नाम चला आ रहा है। प्रत्यर्थीगण को वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार के हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट की ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से उन्हें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की धमकीयॉ देने तथा निर्णय अपने पक्ष में होने की बात कहने पर अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय की नकल लेने पर प्रथम बार अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी से अपीलांट द्वारा अपील अदंर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को अपास्त व निरस्त किये जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर दोनो पक्षों को जवाब एवं सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात विधि अनुसार निर्णय पारित किये जाने का आदेश फरमावे।

20.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की अविभाजित हिंदु परिवार की सहदायगी की संपति से खरीदसुदा भूमि है। वक्त खरीद अपीलांट नाबालिग था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्यक तामील करवाये जाने के बाद उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए थे। तत्पश्चात अपीलांट पर पुनः तामील की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित होने की दशा में वह विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता था। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक करण नहीं बतलाया है। अतः अपील अपीलांट मयाद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में अपीलांट द्वारा जो परिस्थितियाँ प्रकट की गई है, उनको ध्यान रखते हुए तथा विलंब कण्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम एवं उसके समर्थन में प्रस्तत

20.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

शपथ-पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अपीलांट अदंर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक पत्रावली साक्ष्य वादी में विचाराधीन चल रही थी तथा दिनांक 09 अक्टूबर 2019 की आदेशिका में राजीनामा पेश करने का अंकन करते हुए आगामी पेशी नियत की गई। पत्रावली में राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये पक्षकारान् की वाद स्वीकार करने की सहमति दर्शाते हुए वाद स्वीकार कर वादी को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो का क्रमशः 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना पाया जाता है। किंतु उक्त पेशी पर अपीलांट की ओर से न तो सहमति बाबत अपीलांट के हस्ताक्षर है तथा न ही उनके अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की बिना सहमति के अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं होने से यथावत रखने योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 अक्टूबर 2019 राजस्व मूल वाद संख्या 31/2009 अनवान घेवरराम बनाम नेनाराम इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाब दावे के आधार पर मामले में तनकियात कायम कर, उस पर

20.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का का समुचित प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.9.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर